भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3345
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बिहार में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

3345. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बिहार में नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों पर क्या प्रगति हुई है;

(ख) नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के निर्माण के लिए अब तक कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गई है;

(ग) ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के लिए प्राप्त जिलेवार भूमि उपलब्धता संबंधी प्रस्तावों के संबंध में सरकार का क्या रुख है; और

(घ) क्या सरकार ने उपयुक्त भूमि के चयन को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जो देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त स्थल की पहचान करना और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करवाना आवश्यक है तथा 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

जीएफए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर, वित्त पोषण आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की है।

बिहार सरकार (जीओबी) ने दिनांक 24.01.2025 के अपने पत्र के माध्यम से बिहार के राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2025 के पत्र के माध्यम से कुछ टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को

वापस कर दिया है, जिसमें बिहार सरकार से आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ साइट क्लीयरेंस आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध पर, एएआई अधिकारियों के एक दल ने भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के संबंध में व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के लिए 17 से 19 फरवरी, 2025 तक साइट का दौरा किया है।

परियोजना प्रस्तावक होने के नाते, बिहार सरकार को जीएफए नीति के अनुसार बिहार में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' प्राप्त करने हेतु विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*****